

जी०आर०आर०आर०
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रधान निदेशक
उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-2,

लखनऊ-दिनांक 29 दिसम्बर, 2004

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा की अनुम्यता ।

महोदय,

अगत है कि सार्वजनिक उपम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा अनुम्य है और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा अनुम्य नहीं है। इतने उपर्युक्त विषयक परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-227/1/स्पर/03-47स्पर/2000 दिनांक 22 फरवरी, 2003 के तदर्थ में जो यह उल्लेख का निर्देश हुआ है कि प्रसंगत प्रकल्प पर समय-समय से विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा एवं परिचर्या नियमावली-1974

के नियम-23 के स्थान पर निम्न प्राविधान लिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

* राजकीय रोडवेज संगठन के कार्मिकों के सेवानिवृत्त दिनांक 01 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के गठन के फलस्वरूप परिवहन निगम में प्राविधानित पर रखा गया था और उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज संगठन के दिनांक 01 जून 1972 को उत्तरांचल और कर्मचारियों का आमेला संख्या-1982 के प्राविधानों के अंतर्गत परिवहन निगम में आमेला संख्या-1982 के प्राविधानों के अंतर्गत संख्या-56/7-5-5579-71, दिनांक 30 नवम्बर, 1977 द्वारा इतने ताग होने की तिथि से राज्य सरकार के सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों को प्रदान की गयी चिकित्सा सुविधाओं की शर्त है इन्हें तथा इनके परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदेश के राजकीय अस्पतालों/डिस्पेन्सरियों में उती स्तर और उती सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के ठीक पूर्व प्राप्त थी, प्रतिबंध यह होगा कि इन्हें इनके सेवानिवृत्त के परिचय निगम में विद्युक्त कार्मिकों की शर्त अनुम्य चिकित्सा भत्ता व प्रदान किया गया हो ।

अदीय,

हो/

जी०आर०आर०आर०
सचिव,

संख्या-2053/30-2-2004-01/म

- प्राविधानित विभागाधिकारी को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-
1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ ।
2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग, लखनऊ ।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सार्वजनिक उपम विभाग, लखनऊ ।

आशा है,

हो/

जी०आर०आर०आर०